



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1341]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2009/भाद्र 5, 1931

No. 1341]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2009/BHADRA 5, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2009

का.आ. 2187(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय किए जाने वाले नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी का, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार की हैं, विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	प्रकार	किस्म
(1)	(2)	(3)
1.	बाजरा	अविका बाजरा चरी (एवीकेएस-19)
2.	भारतीय सरसों	आरबी-50
3.	मूंगफली	आईसीएचजी 00440 (मल्लिका)
4.	चावल	वल्लभ बासमती-22 (आईईटी 19492) (एमएयूबी-162)
5.	चावल	सीओ (आर) 50 (आईईटी 19321) (सीबी 01001)

(1) (2)

(3)

6.	चावल	डीआरएच-775 (आईईटी 19741)
7.	चावल	91 एच 97228 (एचआरआई 157) (आईईटी 19511)
8.	चावल	पीएसी 835 (पीएसी 80035) (आईईटी 18178)
9.	चावल	पीएसी 837 (पीएसी 85037) (आईईटी 19746)
10.	गेहूं	एमएसीएस 2971
11.	मक्का	एचएम-11 (एचकेएच-1237)
12.	मक्का	डीकेसी 7074 आर (एमसीएच-35)
13.	मक्का	विवेक संकुल मक्का 35 (वीएल 113)
14.	मक्का	विवेक संकुल मक्का 37 (वीएल 114)
15.	मक्का	पाईनएकल (एम ओन 25)
16.	मक्का	पीएसी 740
17.	मक्का	जेकेएमएच-502
18.	बाजरा	जेकेबीएच-676 (एमएच-1299)
19.	बाजरा	आरएचबी -154 (एमएच-1340)
20.	सोरघम	सीएसएच 24 एमएफ (आई सी सं.-560854) (यूटीएम सीएच-1302)
21.	अरहर	टीजेटी 501
22.	चना	शुभरा (आईपीसीके 2002-29)

(1)	(2)	(3)
23.	मूंगबीन	आईपीएम 02-3
24.	उड़दबीन	आईपीयू 02-43
25.	भारतीय सरसों	आरजीएन-145
26.	पीला सरसों	वाईएसएच 0401
27.	गोभी सरसों	हिम सरसों-1
28.	पटसन	मोनालिसा (आरआरपीएस-27-सी-3)
29.	पटसन	अंकित (एनडीसी-2008)
30.	सनई	सन-053
31.	सूरजमुखी संकर	पीएसी 334
32.	चावल	स्वर्ण-एसयूबीआई (सीआर 2539-1) (आईईटी 20266)
33.	चावल	नरेन्द्र उसर धान 2008 (आईईटी 18699)
34.	चावल	एनडीआर 2064 (आईईटी 17475)
35.	चावल	नरेन्द्र धान 3112-1 प्रखर (आईईटी 19335)
36.	चावल	नरेन्द्र लालमती (आईईटी 21051)
37.	चावल	रानी धान (आईईटी 19148)
38.	चावल	तारामती (आरएनआर-23064)
39.	चावल	पीयूएमबी-8
40.	चावल	शारदा (एमएस 946-1)
41.	चावल	सीएसआर 22
42.	चावल	केएचपी 10
43.	चावल	ओना श्री (एमएस 26)
44.	चावल	एमजीडी 101
45.	गेहूं	रतन (सीजी 5016)
46.	मक्का	ईएच-434042 (डीएचआई)
47.	सोरघम	डीएसवी 6
48.	रागी	एमएल-365
49.	रागी	पैयूर (आरए) 2
50.	चना	बीजीडी-103
51.	उड़द	मधिरा मिनुमु-207
52.	मूंग	केकेएम-3
53.	अरहर	सूर्या (एमआरजी-1004)

(1)	(2)	(3)
54.	कुलथी	जीपीएम-6
55.	मूंगफली	कादिरा-9
56.	मूंगफली	वीआरआई (जीएन) 7
57.	मूंगफली	ग्रीष्म
58.	मूंगफली	कादिरा-7
59.	मूंगफली	कादिरा-8
60.	सूरजमुखी	केबीएसएच-53

[फा. सं. 17-4/2009-एसडी-IV]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2009

S.O. 2187(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, namely :—

TABLE

Sl. Kind No.	Variety	
(1)	(2)	(3)
1.	Pearl Millet	Avika Bajra Chari (AVKS-19)
2.	Indian mustard	RB-50
3.	Ground nut	ICHG00440 (Mallika)
4.	Rice	Vallabh Basmati-22 (IET 19492) (MAUB-162)
5.	Rice	CO(R) 50 (IET 19321)(CB 01001)
6.	Rice	DRH-775 (IET 19741)
7.	Rice	91 H97228 (HRI 157)(IET 19511)
8.	Rice	PAC 835(PAC 80035) (IET 18178)

(1) (2)	(3)	(1) (2)	(3)
9. Rice	PAC 837 (PAC 85037) (IET 19746)	42. Rice	KHP-10
10. Wheat	MACS 2971	43. Rice	ONA SIRI (MAS 26)
11. Maize	HM-11 (HKH-1237)	44. Rice	MGD 101
12. Maize	DKC 7074R (MCH-35)	45. Wheat	Ratan (CG 5016)
13. Maize	Vivek Sankul Makka 35 (VL 113)	46. Maize	EH-434042 (DH1)
14. Maize	Vivek Sankul Makka 37 (VL 114)	47. Sorghum	DSV 6
15. Maize	PINNACLE (MON 25)	48. Ragi	ML-365
16. Maize	PAC 740	49. Ragi	Paiyur(Ra)2
17. Maize	JKMH-502	50. Chickpea	BGD-103
18. Pearl Millet	JKBH-676 (MH-1299)	51. Black Gram	Madhira Minumu-207
19. Pearl Millet	RHB-154 (MH-1340)	52. Green Gram	KKM-3
20. Sorghum	CSH 24 MF (I.C.No. 560854) (UTMCH-1302)	53. Red Gram	Surya (MRG-1004)
21. Pigeon pea	TJT 501	54. Horse Gram	GPM-6
22. Chickpea	Shubhra (IPCK 2002-29)	55. Ground Nut	Kadiri-9
23. Mungbean	IPM 02-3	56. Ground Nut	VRI (Gn) 7
24. Urdbean	IPU 02-43	57. Ground Nut	Greeshma
25. Indian Mustard	RGN-145	58. Ground Nut	Kadiri-7
26. Yellow Sarson	YSH0401	59. Ground Nut	Kadiri-8
27. Gobhi Sarson	Him Sarson-1	60. Sunflower	KBSH-53
28. Jute	MONALISA (RRPS-27-C-3)		
29. Jute	ANKIT (NDC-2008)		
30. Sunhemp	SUN-053		
31. Sunflower Hybrid	PAC 334		
32. Rice	SWARANA-SUB 1 (CR2539-1) IET-20266		
33. Rice	Narendra Usar Dhan 2008 (IET-18699)		
34. Rice	NDR 2064 (IET 17475)		
35. Rice	Narendra Dhan 3112-1 Prakhar (IET 19335)		
36. Rice	Narendra Lalmati (IET 21051)		
37. Rice	Rani Dhan (IET-19148)		
38. Rice	Taramati (RNR-23064)		
39. Rice	PUBM-8		
40. Rice	SHARADA (MAS 946-1)		
41. Rice	CSR 22		

[F.No. 17-4/2009-SD.IV]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2009

का.आ. 2188(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1178(अ) तारीख 20 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
18	मक्का	एचक्यूपीएम-1

[फा. सं. 17-4/2009-एस.डी.-IV]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1178 (अ) तारीख 20 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

